

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक-10/08/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चौक (एन0एच0-77) से पक्की सराय चौक पथ के कि0मी0 0 से 19.25 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2579(अनु0) दिनांक 30.07.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चौक (एन0एच0-77) से पक्की सराय चौक पथ के कि0मी0 0 से 19.25 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13
- 2.2 एकरारनामा संख्या : SBD-01 of 2013-14
- 2.3 एकरारनामा की राशि : ₹36,94,33,365.00
- 2.4 संवेदक का नाम : Alectra Construction Ltd.
- 2.5 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- : 19.01.2013
- 2.6 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- : 18.01.2015
- 2.7 मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : कार्य प्रगति में।
- 2.8 मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि : 30.10.2018

3. समयवृद्धि का कारण:-

(1) पथ अधिग्रहण के कारण विलंब :- कार्य का एकरारनामा दिनांक 19.01.2013 को किया गया। यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन था तथा पत्रांक-4755(ई0) दिनांक 09.10.2014 को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण किया गया। पथ के ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक द्वारा पथ का DLP के अन्तर्गत होने के कारण पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण होने तक कार्य नहीं करने हेतु कहा गया। अधिग्रहण के पश्चात कार्य प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार इस मद में 625 दिन का विलंब हुआ।

(2) रात्रि में कार्य के कारण विलंब:- कार्य स्थल शहरी क्षेत्र होने के कारण नो एन्ट्री लागू था। प्रशासन से अनुमति लेने के पश्चात रात्रि में कार्य कराना पड़ा। रात्रि कार्य के लिए पुलिस बल के लिए भी अनुरोध प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा किया गया। फलतः कार्य में 242 दिनों का विलम्ब हुआ।

on F Add

MS

g

ce

(3) **कार्य के Scope में परिवर्तन के कारण विलंब :-** कार्य का एकरारनामा 7.0 मी0 चौड़ाई में किए जाने हेतु किया गया था, परन्तु कुछ पधांशों में भूमि की अनुपलब्धता (कि0मी0 0 से 7.5) के कारण पथ का चौड़ीकरण 5.5 मी0 करने हेतु आदेश अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2795(ई0) दिनांक 29.04.2015 द्वारा प्राप्त हुआ। अतः कार्य में 217 दिनों का विलंब हुआ।

(4) **नक्सल गतिविधि के कारण विलंब :-** संवेदक ने प्रमंडलीय कार्यालय में सूचना दी की उन्हें नक्सलियों द्वारा धमकी दी गई है, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा भी इसकी सूचना पुलिस तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को दी गई। उक्त कारण कार्य की प्रगति बाधित हुआ, जिसमें संवेदक द्वारा 250 दिनों का अनुरोध किया गया है।

(5) **अण्डरग्राऊण्ड BSNL Cable के कारण विलंब :-** संवेदक द्वारा कार्य के दौरान सूचित किया गया कि अण्डरग्राऊण्ड BSNL Cable मात्र 5 इंच से 6 इंच की गहराई पर डाली गई है, जबकि कार्य के लिए सिर्फ 10 इंच की कटाई की जानी है।

अधीक्षण अभियंता द्वारा उनके पत्रांक-907 दिनांक 16.06.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से Cable क्षतिग्रस्त होने के कारण संवेदक के बंधक बनाए गए JCB एवं Tractor को मुक्त करने की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। फलतः कार्य में 148 दिनों का विलंब हुआ। यह अवधि अन्य बाधित अवधि का Overlapping अवधि था।

(6) **Utility Shifting के कारण विलंब :-** पथ के पथांश, पानी टंकी चौक से पक्की सराय चौक तक में PQC कार्य कराया जाना था। उक्त पथांश में पड़ने वाले विद्युत पोल का इरेक्शन/सिफ्टिंग एवं डिसेमेंटलिंग कार्य का परेणाम विपत्र संबंधित विद्युत विभाग से प्राप्त होने पर अधीक्षण अभियंता के पत्रांक-985 अनु0 दिनांक 17.07.2015 द्वारा स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात विद्युत कार्य का निविदा प्रकाशित कर कार्य को अन्य संवेदक को आवंटित किया गया। फलतः उक्त विद्युत पोल के सिफ्टिंग के बाद कार्य कराया गया जिसके कारण 902 दिनों का विलंब हुआ।

(7) **रेल रैक की अनुपलब्धता के कारण विलंब :-** रेलवे के माल अधीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि शेखपुरा स्टेशन पर दिनांक 20.01.2018 के Indent लगाया गया है। परन्तु BoxN नहीं मिलने के कारण रेलवे द्वारा रैक उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 15.06.2018 के पश्चात मिलने की संभावना है। उक्त के कारण कार्य करीब 145 दिनों का विलंब हुआ।

(8) **बालू की अनुपलब्धता :-** मुख्य सचिव, बिहार पटना के पत्रांक-404 दिनांक 09.02.2016 द्वारा आदेशित किया गया कि National Green Tribunal, Eastern Zone Bench द्वारा बालू खनन में रोक लगा दी गई है। जिसके कारण करीब 89 दिनों तक कार्य की प्रगति अवरूद्ध रहा।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.10.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृत की अनुशंसा की जाती है। विस्तारित अवधि में निविदाकार को एकरारनामा के SBD Clause 10 CC के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की भी अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।


av T MS


la


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 विचार कर यह पाया कि विलम्ब के कारण Concurrent थे, अतः इतनी अधिक लम्बी अवधि का समयवृद्धि (EOT) देने की अनुमान्यता पर मुख्य अभियंता पुनः विचार कर अनुशंसा करें। वे कार्य की प्रगति पर भी विचार करें।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबवार्ड पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता(या0),  
उत्तर बिहार उपभाग  
पथ निर्माण विभाग, पटना


  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव  
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग, पटना ।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना ।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विधि (स०वृ०)-06-179/2018-5777(E) पटना, दिनांक...13.8.18...

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1. मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

av F ABL